पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर)
राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

डॉ.विष्णु कुमार
प्रभारी अधिकारी

क्रमांक. एफ ( )/पअके/चांदन/2023-24/184 दिनांक:08.08.2023

पशु नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पशुधन अनुसंधान केन्द्र चांधन पर दिनांक 05.09.2023 को कुल 63 थारपारकर नर पशु (1 सांड एवं 62 बछड़े) एवं दिनांक 06.09.2023 को लगभग 190 मारवाडी बकरे बकरियां एवं अवशेषित नर बछड़े प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली नीलामी द्वारा फार्म परिसर में विक्रय किये जायेंगें। नीलाम किये जाने वाले बछडों का अवलोकन दिनांक 01.09.2023 से कार्यालय समय में किया जा सकेगा।

थारपारकर पशुओं की खुली नीलामी की नियम व शर्ते

1. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन पर खुली नीलामी द्वारा पशुओं की बिक्री दिनांक 05-09-2023 को प्रातः 9 बजे से सांय 4 बजे के मध्य की जावेगी। सम्पूर्ण पशुओं का नीलामी में नम्बर नहीं आने पर नीलामी अगले कार्य दिवस पर भी जारी रहेगी।
2. बोली लगााने वाले को पंजीकरण फार्म के साथ अपना पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यदि बोली किसी गौशाला/संस्थान/कम्पनी के नाम से लगायी जानी हो तो बोली लगाने वाले को उस फर्म का अधिकृत पत्र भी साथ लाना होगा।
3. नीलामी की दिनांक एवं समय में परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र को है। समय एवं दिनांक में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना नोटिस बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
4. पशुओं की नीलामी में भाग लेने के इच्छूक व्यक्ति/पार्टी/फर्म/गौशाला को पंजीकरण फार्म भरकर जमा कराना होगा जिसका मूल्य 100/- रूपये है। यह राशि अदेय (Non Refundable) होगी। पंजीकरण फार्म के साथ धरोहर राशि 6000/- रूपये (अक्षरे छः हजार मात्र) का नकद/बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट लाना होगा। जो Livestock Res Stat LRS के नाम से देय होगा। उक्त राशि को ऑनलाइन माध्यम (NEFT/RTGS/UPI) से भी केन्द्र के खाते में सीधे जमा करवायी जा सकती है। पार्टी चाहे तो दोनो राशिओं को एकमुश्त भी जमा कर सकती है। ऑनलाइन भुगतान हेतु बैंक विवरण निम्नानुसार है –

   Name of Account Holder – LIVESTOCK RES STAT LRS
   Account no. - 40056897336
   IFSC code – SBIN0031382
   SBI Branch – Chandan, Jaisalmer
5. नीलामी के दौरान पशुओं की संख्या घटाई या बढ़ायी जा सकती है।
6. प्रत्येक पशु की कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य (Base Price) से ऊपर कम से कम तीन बोली लगानी होगी तभी पशु को बेचा जायेगा।
7. प्रत्येक पशु की (Base Price) उसी समय कमेटी द्वारा आपसी मंत्रणा कर निर्धारित की जायेगी। इस मूल्य का पशु के पुस्तकीय मूल्य से कोई संबंध नहीं होगा।
8. बछड़ों में बोली 500 रूपये के गुणक में होगी।
9. जिसकी भी बोली 'तीन' बोलते ही छूट जायेगी, उस बोलीदाता को उसी समय बोली राशि का 25% नगद/ऑनलाइन जमा करवाना होगा अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसे नीलामी से बाहर कर दिया जावेगा।

10. उच्चतम बोली लगाने वालों को बची हुयी 75% राशि तीन दिन के भीतर जरिये डी.डी. या ऑनलाइन जमा करानी होगी। दो दिन के भीतर बची हुई राशि नहीं चुकाने पर अगले 7 दिनों तक 200 रूपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से पशु के चारा–दाने के पार्टी से वसूले जायेंगें, अन्यथा उक्त राशि को धरोहर राशि में से काट लिये जायेगें।

11. नीलामी में बोली छूटने के 10 दिन बाद तक (3 दिन निःशुल्क और 7 दिन सशुल्क) पार्टी द्वारा पशु नहीं ले जाने पर बोली स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा पार्टी द्वारा जमा करवायी गयी समस्त धरोहर राशि एवं 25% मूल्य राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

12. पशु की बोली छूटने के बाद पशु की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। अतः बोलीदाता यथाशीघ्र पशु को उसका सम्पूर्ण मूल्य चुका कर ले जावें। बोली छूटने के बाद पशु के साथ किसी भी प्रकार की दूर्घटना/बीमारी/चोरी/मृत्यु आदि के लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं न ही बोलीदाता को किसी प्रकार की राशि लौटायी जावेगी।

13. बोलीदाता को धरोहर राशि पशु को फार्म से बाहर ले जाने के बाद ही जरिये चेक/ऑनलाइन लौटायी जावेगी। किसी भी स्थिति में धरोहर राशि नगद देय नहीं होगी। यदि बोलीदाता से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जानी हो तो धरोहर राशि को अवशेष 75% राशि में समायोजित किया जावेगा।

14. एक ही पार्टी एक से अधिक पशुओं की बोली में भाग ले सकती है।

15. यदि किसी बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली नहीं लगाने के कारण पशुओं की खरीद नहीं होती है उसे धरोहर राशि नीलामी पश्चात् लौटा दी जावेगी। डी.डी./बैंकर्स चेक देने वाली पार्टी को उनकी डी.डी. यथा स्थिति लौटा दिया जावेगा एवं अन्य माध्यम से भुगतान करने वाली पार्टीयों को जरिये चेक/ऑनलाइन धरोहर राशि लौटायी जावेगी। ऑनलाइन भुगतान करने की स्थिति में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार पार्टी द्वारा वहन किया जावेगा।

16. पशुओ ंकी लोडिंग एवं ट्रासपोर्ट का सम्पूर्ण खर्च क्रय पार्टी को करना होगा।

17. पंजीकरण फार्म के साथ धरोहर राशि जमा कराने वाले व्यक्ति/पार्टी को टोकन दिया जावेगा। बोली लगाने से पूर्व टोकन संख्या एवं पार्टी को अपना नाम बोलना होगा।

18. नीलामी कमेटी, नीलामी के समय पशु के बारे में उपलब्ध सूचना सबको बतायेगी। पशुओं के बारे में अन्य सूचना विशेष रूप से पेडग्री/प्रोडेक्शन रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिये कमेटी बाध्य नहीं है एवं ऐसी किसी भी सूचना के लिए मना भी किया जा सकता है।

19. किसी भी प्रकार के विवाद में कमेटी का निर्णय सर्वसम्मत होगा एवं न्यायक्षेत्र जैसलमेर होगा।

20. किसी भी बोलीदाता द्वारा नीलामी के दौरान किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार करने पर उसे नीलामी से अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा तथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। गंभीर मामले में पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर)

थारपारकर पशुओं की खुली नीलामी हेतु पंजीकरण प्रपत्र

शुल्कः 100 रूपये

टोकन संख्या............................

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

बोलीदाता का नाम एवं पूरा पता मय मोबाईल नम्बर..

....

....

....

....

पहचान पत्र/आधार कार्ड संख्या..

......

धरोहर राशि के भुगतान का विवरण...

(Bank Draft /Bankers Cheque No/.UTR No. /Transaction Id with date/Cash)

केश रसीद संख्या...

पार्टी का बैंक खाता विवरण (धरोहर राशि लौटाने हेतु)

खाताधारक का नाम...

खाता संख्या..

IFSC code..

घोषणा पत्र

मैं/हम...(पार्टी का नाम) शपथ पूर्वक घोषित करता हूं कि मैं/हम थारपारकर पशुओं की नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हूं तथा मैने प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तें एवं नियम अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिये है तथा मुझे सभी शर्ते एवं नियम मंजुर है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि नीलामी में मेरे द्वारा कोई भी पशु खरीदा जाता है तो मै उसका उपयोग केवल प्रजनन/नस्ल सुधार/ दूध उत्पादन अथवा कृषि कार्य में ही करूंगा।

पार्टी के हस्ताक्षर

मारवाड़ी बकरे बकरियों की खुली नीलामी की नियम व शर्ते

1. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन पर खुली नीलामी द्वारा पशुओं की बिक्री दिनांक 06-09-2023 को प्रातः 9 बजे से अपराहन 1 बजे के मध्य की जावेगी।
2. बोली लगााने वाले को पंजीकरण फार्म के साथ अपना पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यदि बोली किसी संस्थान/कम्पनी के नाम से लगायी जानी हो तो बोली लगाने वाले को उस फर्म का अधिकृत पत्र भी साथ लाना होगा।
3. नीलामी की दिनांक एवं समय में परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र को है। समय एवं दिनांक में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना नोटिस बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
4- पशुओं की नीलामी में भाग लेने के इच्छूक व्यक्ति/पार्टी/फर्म को पंजीकरण फार्म भरकर जमा कराना होगा जिसका मूल्य 100/- रूपये है। यह राशि अदेय (Non Refundable) होगी। पंजीकरण फार्म के साथ धरोहर राशि 6000/- रूपये (अक्षरे छः हजार मात्र) का नकद/बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट लाना होगा। जो Principal Investigator, Conservation and Development of Marwari Goat के नाम से देय होगा।
5. नीलामी के दौरान पशुओं की संख्या घटाई या बढ़ायी जा सकती है।
6. पशुओं की बोली पूरे समुह के रूप में लगायी जावेगी। कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य (Base Price) से ऊपर कम से कम तीन बोली लगानी होगी तभी पशु को बेचा जायेगा।
7. पूरे समूह की बोली में बोली 25000 रूपये के गुणक में होगी। यदि बोली वजन के हिसाब से लगायी गयी तो बोली 5 रूपये प्रति किलो के गुणक में लगायी जावेगी।
8. जिसकी भी बोली 'तीन' बोलते ही छूट जायेगी, उस बोलीदाता को उसी समय बोली राशि का 25% नगद/ऑनलाइन जमा करवाना होगा अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसे नीलामी से बाहर कर दिया जावेगा।
9. उच्चतम बोली लगाने वालों को बची हुयी 75% राशि दो दिन के भीतर जरिये डी.डी. या ऑनलाइन जमा करानी होगी। यह राशि नगद स्वीकार्य नहीं होगी। दो दिन के भीतर बची हुई राशि नहीं चुकाने पर अगले 5 दिनों तक 100 रूपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से पशु के चारा–दाने के पार्टी से वसूले जायेंगें, अन्यथा उक्त राशि को धरोहर राशि में से काट लिये जायेगें।
10. नीलामी में बोली छूटने के 7 दिन बाद तक (2 दिन निःशुल्क और 5 दिन सशुल्क) पार्टी द्वारा पशु नहीं ले जाने पर बोली स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा पार्टी द्वारा जमा करवायी गयी समस्त धरोहर राशि एवं 25% मूल्य राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
11. पशु की बोली छूटने के बाद पशु की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। अतः बोलीदाता यथाशीघ्र पशु को उसका सम्पूर्ण मूल्य चुका कर ले जावें। बोली छूटने के बाद पशु के साथ किसी भी प्रकार की दूर्घटना/बीमारी/चोरी/मृत्यु आदि के लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं न ही बोलीदाता को किसी प्रकार की राशि लौटायी जावेगी।
12. बोलीदाता को धरोहर राशि पशु को फार्म से बाहर ले जाने के बाद ही जरिये चेक/ऑनलाइन लौटायी जावेगी। किसी भी स्थिति में धरोहर राशि नगद देय नहीं होगी। यदि बोलीदाता से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जानी हो तो धरोहर राशि को अवशेष 75% राशि में समायोजित किया जावेगा।

13. यदि किसी बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली नहीं लगाने के कारण पशुओं की खरीद नहीं होती है उसे धरोहर राशि नीलामी पश्चात् लौटा दी जावेगी। डी.डी./बैंकर्स चेक देने वाली पार्टी को उनकी डी.डी. यथा स्थिति लौटा दिया जावेगा एवं अन्य माध्यम से भुगतान करने वाली पार्टीयों को जरिये चेक/ऑनलाइन धरोहर राशि लौटायी जावेगी। ऑनलाइन भुगतान करने की स्थिति में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार पार्टी द्वारा वहन किया जावेगा।

14. पशुओ ंकी लोडिंग एवं ट्रासपोर्ट का सम्पूर्ण खर्च क्रय पार्टी को करना होगा।

15. पंजीकरण फार्म के साथ धरोहर राशि जमा कराने वाले व्यक्ति/पार्टी को टोकन दिया जावेगा। बोली लगाने से पूर्व टोकन संख्या एवं पार्टी को अपना नाम बोलना होगा।

16. नीलामी कमेटी, नीलामी के समय पशु के बारे में उपलब्ध सूचना सबको बतायेगी।

17. किसी भी प्रकार के विवाद में कमेटी का निर्णय सर्वसम्मत होगा एवं न्यायक्षेत्र जैसलमेर होगा।

18. किसी भी बोलीदाता द्वारा नीलामी के दौरान किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार करने पर उसे नीलामी से अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा तथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। गंभीर मामले में पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।

आज्ञा से

प्रभारी अधिकारी

<u>पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर)</u>

<u>मारवाड़ी बकरे बकरियों की खुली नीलामी हेतु पंजीकरण प्रपत्र</u>

शुल्कः 100 रूपये

टोकन संख्या.............................

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

बोलीदाता का नाम एवं पूरा पता मय मोबाईल नम्बर...

....

....

....

....

पहचान पत्र/आधार कार्ड संख्या..

......

धरोहर राशि के भुगतान का विवरण...

(Bank Draft /Bankers Cheque No/.UTR No. /Transaction Id with date/Cash)

केश रसीद संख्या...

पार्टी का बैंक खाता विवरण (धरोहर राशि लौटाने हेतु)

खाताधारक का नाम...

खाता संख्या...

IFSC code...

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं/हम...(पार्टी का नाम) शपथ पूर्वक घोषित करता हूं कि मैं/हम थारपारकर पशुओं की नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हूं तथा मैने प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तें एवं नियम अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिये है तथा मुझे सभी शर्ते एवं नियम मंजुर है।

पार्टी के हस्ताक्षर